वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2011-2012

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखा जाता है, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों तथा पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। इस अंतर को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ-साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण-I की परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में से अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

(i) अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत/निर्मित अचल परिसंपत्तियों को, जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती हैं।

(ii) भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं हैं, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

(iii) विशेष भू-अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि के वे भू-भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आवंटित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गई पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iv) उन मामलों में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

(v) कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गई परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को कार्य पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उन्हें अचल परिसंपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

(i) पट्टा धारित एवं पट्टायुक्त भूमि पर क्रियाशील तथा कृषि एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, नई टाउनशिप का निर्माण, वनीकरण, पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च आदि) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू-अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू-अवमूल्यन के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा।

(ii) निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

(iii) आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

(iv) ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(v) कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है। कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि व्यय सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (ईडीसी) (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ दिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

(vi) परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य (ईडीसी) के दौरान व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या 5(i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

(i) विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) सामान्यतः उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार संविभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(i) विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब-किताब उन दरों पर किया जाता है, जिस पर उनका सौदा किया गया हो।

(ii) तुलन-पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें अंतिम दर का प्रयोग कर सूचित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर मुद्रा मदों को सौदे की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दर पर सूचित किया जाता है।

(iii) 01.04.2004 से पहले किए गए लेन-देन से उत्पन्न अचल परिसंपत्तियों / प्रगति पर पूंजीगत कार्यों के ऋणों/ जमाराशियों/ देयताओं के विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति / प्रगति पर पूंजीगत कार्य की लगने वाली लागत से समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन-देन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को एएस-11 (संशोधित 2003) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(iv) अन्य विनिमय अंतरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न हुए हों, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास को प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर को अधिसूचित नहीं किया है, उनके बारे में मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि के आधार पर किया जाता है। विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण दीर्घावधि देनदारी में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में परिवर्तन के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप से संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

(ii) 1500/-रुपए तक की लागत वाली निम्न मूल्य मदों को, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उनको राजस्व से प्रभारित जाता है।

(iii) 1500/-रुपए से अधिक पर 5000/-रुपए तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

(iv) मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के "उपयोग के लिए तैयार" होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

(v) लीज होल्ड जमीन की लागत लीज़ अवधि के दौरान

परिशोधित की जाती है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वामित्व में ली गई परिसंपत्तियों पर परिशोधना की निर्माण अवधि के दौरान उपगत पूंजीगत व्यय को संबंधित परियोजना की पहली इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के वर्ष से पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गई हो, परिशोधित किया जाता है।

(vii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। मशीनों के कुल-पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति की किसी मद के मामले में ही किया जा सकता है तथा जिसका प्रयोग अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल-पुर्जे

(i) भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी निम्नतर हो, निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल-पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

(i) ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार किया जाता है। उस विद्युत केंद्र के मामले में, जहां अंतिम प्रशुल्क को अधिसूचित नहीं किया गया है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गए लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनाई गई अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्षानुवर्ष आधार पर रखा जाता है।

(ii) प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानकों या मार्गदर्शियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/मार्गदर्शियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/ हतोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

(iii) ऊर्जा बिक्री के लिए विविध जेनरेटरों से वसूल किए जाने वाले अधिभार तथा परिसमाप्त क्षतियों/वारंटी दावों को इसके वसूली किए जाने/स्वीकृति किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसलिए इसकी प्राप्ति/प्राप्ति आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(iv) ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को संबंधित लागू पूंजीगत कार्य के खाते में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

(v) कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।

(vi) बीमा दावों का हिसाब बीमाकर्ता द्वारा प्राप्ति/स्वीकृति सुनिश्चित वसूली के वर्ष में रखा जाता है।

(vii) परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/ तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय

(viii) मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल-पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

(ix) प्रत्येक मामले में 10,000/-रुपए या उससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त खर्च तथा पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(x) वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

(xi) व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले की परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च सामान्य से प्रभारित किए जाते हैं।

(xii) पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम को सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके। खर्च न की गई राशि अग्रेनीत कर दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

(i) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता पैकेज और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जैसाकि एएस-15 में परिभाषित किया गया है।

(ii) कंपनी ने भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों पर ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय के वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि, बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय निर्धारण अंतरों के आधार पर मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन-पत्र की तारीख तक पारित किए गए कानूनों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते में उस सीमा तक राशि जमा की जाती है/नामे डाली जाती है जहां तक कर व्यय भावी वर्षों में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण को नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित लेखाकरण मानक (एएस-3) में निर्धारित परोक्ष तरीके के अनुसार तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी	1	3,28,758		3,28,758	
(ख) आरक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	2,90,456	6,19,214	2,47,607	5,77,265
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			4,600		0
गैर-चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधारियां	3	4,48,594		4,17,323	
(ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	25,794		29,932	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	16,532	4,90,920	16,760	4,64,015
चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधारियां	6	28,968		32,917	
(ख) ट्रेड देय	7	50		4	
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	89,443		72,678	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	30,190	1,49,658	18,370	1,23,969
कुल			12,66,417		11,65,249
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) स्थायी परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	9,20,201		9,06,848	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	126		129	
(iii) प्रगति पर पूंजी कार्य	11	57,081	9,77,408	82,471	9,89,448
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		10,918		12,282
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13		57,475		37,550
(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14		516		359

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
(क) वस्तुसूची	15	1,660		1,768	
(ख) ट्रेड प्राप्य	16	1,90,897		1,11,495	
(ग) नगदी एवं नगदी समरूप राशियां	17	13,787		5,244	
(घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18	3,264		2,168	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	495	2,10,103	113	1,20,788
कुल			**12,65,417**		**11,65,247**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एवं भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का विवरण

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	20		2,04,558		1,68,310
अन्य आय	21		950		617
कुल राजस्व			2,05,508		1,68,927
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		14,995		15,524
वित्त लागत	23		53,173		37,797
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	10		45,080		34,962
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	24		11,774		12,846
प्रावधान	25		156		79
कुल व्यय			1,25,178		1,01,208
कर-पूर्व लाभ			80,330		67,719
पूर्वावधि आय/ (व्यय) (निवल)	26		96		(201)
कर पूर्व व्यय			80,234		67,920
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आय कर		16,298		13,631	
संपत्ति कर		85	16,375	31	13,662
आस्थगित कर - परिसंपत्ति		(6,524)	(6,524)	(5,789)	(5,789)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्ष का लाभ			70,383		60,047
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
मूल (₹)			213.44		182.10
कम किया हुआ (₹)			213.42		182.10

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC India Limited

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी : 1

शेयर पूंजी

(राशि, लाख रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत रुपए 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
जारी की गई अभिदत्त एवं प्रदत्त रुपए 1000/- प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,29,76,900	3,29,769	3,29,76,900	3,29,769
कुल			3,29,769		3,29,769

टिप्पणी :-1.1

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का लेखा समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरंभिक		3,29,75,900	3,29,769	3,29,75,900	3,29,769
निर्गत		0	0	0	0
कटौती		0	0	0	0
अंतिम		3,29,75,900	3,29,769	3,29,75,900	3,29,769

टिप्पणी :-1.3

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
5% से अधिक रखने वाले शेयर					
I. भारत सरकार		2,37,37,000	71.98	2,37,37,000	71.98
II. उत्तर प्रदेश सरकार		92,38,900	28.02	92,38,900	28.02
कुल		3,29,75,900.00	100.00	3,29,75,900.00	100.00

1.3 कंपनी को तारीख 17.12.2008 की संख्या 40/2/2008-सीएल-III के साथ भारत सरकार को आवंटित रुपए 1000/-प्रत्येक के 27767 इक्विटी शेयरों के निरस्तीकरण द्वारा रुपए 277.67 लाख के शेयर पूंजी को कम करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पुष्टि प्राप्त हुई है। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टि वर्ष 2008-09 में पारित की गई है। कटौती, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पारेषण लाइनों एवं संबद्ध सब-स्टेशनों के अंतरण के संबंध में आंशिक जारीत प्रतिफल को निरूपित करती है। इस प्रकार, इस संबंध में शेयर पूंजी में कुल कटौती 1998-99 में किए गए रुपए 841.00 लाख के पूर्ववर्ती कटौती सहित रुपए 1118.67 लाख बैठती है।

टिप्पणी : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		1,44,134		1,44,134	
घटाएं : -					
बकाया अंशदान		15		15	
प्राप्त अंशदान		**1,44,119**		**1,44,119**	
घटाएं :-					
मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन		27,595	1,16,524	20,787	1,23,332
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)					
आरंभिक शेष		472		431	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		41	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	472	0	472
उप-जोड़ - ''क''		**1,16,996**			**1,23,804**
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष					
आरंभिक		1,23,726		84,785	
जोड़ें : पी एवं एल विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ		70,383		60,047	
विनियोजन हेतु कुल लाभ			**1,94,109**		**1,44,832**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		12,500	
प्रस्तावित लाभांश		21,200	21,200	5,600	18,100
लाभांश पर कर					
लाभांश संवितरण कर-अंतरिम		0		2,076	
लाभांश संवितरण कर -प्रस्तावित		3,439	3,439	930	3,006
उप-जोड़ - ''ख''			**1,69,470**		**1,23,726**
उप-जोड़ - 'ग' (क + ख)			**2,86,466**		**2,47,530**
विविध व्यय (ऐसी सीमा में जो बट्टेखाते अथवा समायोजित न हो)					
आरंभिक शेष		23		36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		1		0	
वर्ष दौरान प्रयुक्त/समयोजित		(14)	10	(13)	23
उप-जोड़ - ''घ''			**10**		**23**
कुल (ग - घ)			**2,86,456**		**2,47,507**

2.1 कंपनी ने रुपए 1000/- सममूल्य प्रत्येक के लिए रुपए 64.29 प्रति इक्विटी शेयर की दर पर वर्ष 2011-12 के लिए (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 54.89 प्रति इक्विटी शेयर) लाभांश का प्रस्ताव किया है।

टिप्पणी - 5

दीर्घावधि उधारियाँ

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
क. सुरक्षित पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)।					
(15 जुलाई, 2006 से 15 जनवरी, 2016 तक वर्तमान में 11% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			0		1,057
(16 जुलाई, 2006 से 15 जनवरी, 2016 तक वर्तमान में 10.75% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			4,686		15,638
(16 जुलाई, 2006 से 15 जनवरी, 2016 तक वर्तमान में 10% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			16,700		16,700
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक वर्तमान में 9.75% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			8,800		8,800
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक वर्तमान में 12.75%, पूर्ववर्ती वर्ष 12.5% छिमाही देय, अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 15 वर्ष तक प्रतिदेय)।			94,792		1,09,820
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (कोटेश्वर के लिए) #					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 12% दर पर देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			8,000		8,000
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 11.50% दर छिमाही पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			80,086		71,782
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 11.25% दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			14,113		14,113
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 11% दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			20,190		20,189

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार	31 मार्च, 2011 के अनुसार
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) (केएचईपी के लिए) #			
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 12.5% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		6,144	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 12.25% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		3,175	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 12% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		8,134	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 11.5% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		1,110	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 11.25% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		7,704	5,035
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 11% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		8,757	9,467
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 10.75% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		29,795	32,210
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)*			
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 12.5% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।		9,079	22,497
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 12% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।		11,169	0
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 11.5% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।		4,632	5,147
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 11% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को		60,784	67,538

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।					
(नवम्बर, 2009 से मार्च, 2016 तक वर्तमान में 11.5% की दर पर अलग-अलग तारीखों पर बैंक अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			10,929		14,098
पंजाब नेशनल बैंक बैंक से मध्यावधि क्रेडिट, अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए मूल दर + 1% वर्तमान में 11.75% की दर पर**			50,000		0
योग (क)			4,36,713		4,13,080
ख. असुरक्षित $ विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) टिहरी एचपीपी के लिए केएफडब्ल्यू ऋण - 2001					
(जून, 2004 से दिसम्बर, 2013 तक ईयूआरआईबीओआर जमा 0.5% अतिरिक्त वार्षिक प्रति वर्ष की दर पर अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए वर्तमान में 2.1679% दर पर, पूर्ववर्ती वर्ष 1.75% की दर पर अर्ध वार्षिक किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			1,692		3,502
केएफडब्ल्यू ऋण -2005 (सितम्बर, 2004 से मार्च, 2014 तक 5.91% प्रति वर्ष की दर पर स्थिर ब्याज दर अपनाते हुए अर्ध वार्षिक किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			400		741
विश्व बैंक ऋण वीपीएचईपी के लिए (15 नवम्बर, 2017 से 15 नवम्बर, 2040 तक मूल आईबीओआर + परिवर्तनीय फैले हुए दर पर वर्तमान में 1.18% की दर पर अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए अर्ध वार्षिक किस्त पर 23 वर्षों तक प्रतिदेय)।			529		0
मीयादी ऋण $ # भारतीय स्टेट बैंक (अगस्त, 2016 से मई, 2026 तक वर्तमान में 11.20% की दर पर (मूल दर + 1.2%) अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्तों पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			10,000		0
योग (ख)			13,121		4,243
योग (क+ख)			4,49,834		4,17,323

* टिहरी चरण-I की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित सीमांकित ऋण, [illegible] बांध, [illegible] एवं [illegible], जो अन्य [illegible] के अंतर्गत नहीं आते हैं और ऋण एवं उसके संबंधित ब्याज पर सभी अधिकारों के साथ टिहरी बांध एवं एचपीपी की परिसंपत्तियां समाविष्ट।

@ कोटेश्वर परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित सीमांकित ऋण।

** कंपनी की परिसंपत्तियों के [illegible] पर दूसरे प्रभार द्वारा सुरक्षित रुपए 50,000/- लाख की सीमा तक [illegible]।

$ [illegible]

$ # [illegible] 31.03.2012 को [illegible] रुपए 10000 लाख [illegible]। [illegible] 31.07.2012 [illegible]।

इस वर्ष के दौरान किसी भी ऋण अथवा उस पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई त्रुटि नहीं है।

टिप्पणी : 4

अन्य दीर्घावधि देयताएं

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के संबंध में आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		28,331		28,331	
जोड़ें : वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं : वर्ष के दौरान अभिस्वीकृत राजस्व		0	28,331	0	28,331
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		33		767	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		4	37	17	784
जमाराशियां, ठेकेदार आदि से प्रतिधारण राशि		385		726	
अन्य देयताएं		1	386	61	787
कुल			**28,754**		**29,902**

4.1 सीईआरसी विनियमन 2004-2009 के तहत टैरिफ के संघटक के रूप में अनुमत मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को बिक्रियों से घटाया गया था और उत्तरवर्ती वर्षों की बिक्रियों में समायोजित किए जाने वाले आस्थगित राजस्व के रूप में समझा गया था। सीईआरसी विनियमन 2009-2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

टिप्पणी : 8

दीर्घावधि प्रावधान

राशि, लाख रुपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2011 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए			31 मार्च, 2012 के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		1,249	0	(993)	(256)	0
II. कर्मचारी से संबंधित		14,886	2,651	153	(235)	17,455
III. अन्य		673	405	(1)	0	1,077
जोड़		16,808	3,056	(841)	(491)	18,532
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आंकड़े		14,498	2,408	(466)	9	16,709

कर्मचारी लाभ पर एएस-15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 82 में किया गया है।

टिप्पणी : 6

अल्पावधि उधारियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
क. प्रतिभूति ऋण :					
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (9.75% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)			0		10,417
पावर वित्त निगम लिमिटेड (13.75% की दर पर प्रचलित अस्थिर दर) $			20,000		0
बैंकों से नगद क्रेडिट**					
पंजाब नेशनल बैंक (11.75% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)			12,381		0
जोड़ (क)			**32,381**		**10,417**
ख. अप्रतिभूति ऋण :					
पंजाब नेशनल बैंक (10.00% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)			0		22,500
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.5% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)*			3,808		0
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.25% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)*			3,769		0
जोड़ (ख)			**7,577**		**22,500**
जोड़ (क + ख)			**39,958**		**32,917**

* *निलम्बलेख खाते पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के रूप में पीएफसी से लिए गए रुपए 7577/-लाख का एसटीएल।*

** *कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर दूसरे प्रभार द्वारा प्रतिभूत रुपए 15000/-लाख तक की अतिरिक्त ओवर ड्राफ्ट सीमा।*

$ *रुपए 25000/-लाख की सीमा में अर्जित ऋणों पर प्रथम प्रभार के रूप में प्रतिभूत।*

इसमें वर्ष के दौरान किन्हीं ऋणों अथवा उन पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं है। इन अल्पावधि ऋणों को वर्ष के भीतर लौटाना होता है।

टिप्पणी : 7

ट्रेड देय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
ट्रेड देय - एमएसएमईडी			0		0
ट्रेड देय - एमएसएमईडी से भिन्न			50		4
जोड़			50		4

टिप्पणी : 8

अन्य चालू देयताएं

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
दीर्घावधि - ऋण की वर्तमान भुगतान-तिथि					
क. प्रतिभूत			50,729		36,694
योग (क)			50,729		36,694
ख. अप्रतिभूत है विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)			2,293		2,132
योग (ख)			2,293		2,132
योग (क + ख)			53,022		38,826
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		5,077		9,042	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		2,063	7,140	14,562	23,604
जमाराशियां, ठेकेदार आदि से प्रतिधारण राशि		2,113		1,938	
अन्य देयताएं		713	2,826	1,089	3,027
उपचित ब्याज परन्तु देय नहीं					
वित्तीय संस्थान		9,457		7,227	
अन्य देयताएं		0	9,457	0	7,227
योग			19,423		33,858
कुल देयताएं			72,445		72,684

ऊपर दर्शाए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान भुगतान-तिथि की चुकौती की अवधि के संबंध में ब्यौरा टिप्पणी-3 में प्रकटित है।

टिप्पणी : 9

अल्पावधि प्रावधान

राशि, लाख रुपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2011 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए			31 मार्च, 2012 के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		801	435	971	(325)	1,882
II. कर्मचारी से संबंधित		7,887	7,182	(777)	(5,279)	9,013
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		5,600	21,200	0	(5,600)	21,200
IV. लाभांश संवितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		3,006	3,439	0	(3,006)	3,439
V. अन्य		1,076	14,616	(91)	(12,005)	3,596
जोड़		**18,370**	**46,872**	**103**	**(26,215)**	**39,130**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**22,330**	**25,748**	**(2,029)**	**(27,679)**	**18,370**

कर्मचारी लाभ पर एएस-15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 62 में किया गया है।

टिप्पणी : 19

अचल परिसम्पत्तियां

राशि लाख रुपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2011 की स्थिति	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2012 की स्थिति	1 अप्रैल 2011 की स्थिति	वर्ष हेतु	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2012 की स्थिति	31 मार्च 2012 की स्थिति	31 मार्च 2011 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां										
[illegible] परिसंपत्तियां										
1. भूमि फ्री होल्ड	348	–	–	366	16	9	–	37	329	327
अन्य परिसंपत्तियां										
2. लीज होल्ड भूमि	2,182	–	–	2,182	–	–	–	–	2,182	2,182
3. [illegible] पूंजी	1,38,359	3,480	–	1,41,036	17,343	4,574	–	21,914	1,19,122	1,21,009
4. भवन	83,911	5,033	(13)	88,929	1,436	2,318	(2)	3,718	85,193	82,411
5. भवन अस्थायी ढांचा	515	424	–	938	514	425	–	938	–	1
6. सड़क, पुल और पुलिया	4,380	3,834	(4)	8,210	307	580	8	888	8,402	4,073
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,348	18	–	1,366	188	97	–	285	1,080	1,060
8. निर्माण प्लांट तथा मशीनरी	1,448	878	–	1,326	873	57	–	1,530	796	475
9. उत्पादन प्लांट तथा मशीनरी	1,63,594	88,217	(31)	2,51,880	29,558	10,837	–	37,176	1,44,084	1,60,036
10. [illegible]	1,179	60	(9)	1,221	594	158	(1)	701	520	585
11. विद्युत संस्थापनाएं	655	168	–	811	94	48	–	103	708	559
12. [illegible]	1,491	307	–	1,798	918	86	–	944	1,854	1,183
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	3,238	884	(27)	8,690	788	329	(1)	1,616	3,001	2,468
14. फर्नीचर तथा फिक्स्चर	1,383	117	(1)	1,478	505	57	–	505	1,084	1,808
15. वाहन	753	801	(34)	1,022	888	88	(17)	435	588	814
16. रेलवे साइडिंग	122	–	–	122	12	4	–	18	105	110
17. [illegible]	4,93,443	8,737	–	4,50,180	83,933	29,579	1	88,471	4,12,709	4,33,501
18. [illegible]	1,31,310	5,818	–	1,37,058	21,591	7,021	105	28,117	1,08,939	1,10,289
19. [illegible]	177	–	(2)	175	–	–	–	-	175	177
20. [illegible]	2,618	–	–	2,658	2,073	384	–	2,384	291	542
उप-योग	[illegible]	63,403	(93)	11,32,856	1,33,718	69,816	[illegible]	1,88,379	[illegible]	[illegible]
पिछले वर्ष के आंकड़े	[illegible]	1,30,828	(5,500)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(7,350)	1,33,718	[illegible]	[illegible]
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां – सॉफ्टवेयर	307	86	–	393	130	49	–	180	214	178
उप-योग	307	86	–	393	130	49	–	180	214	178
पिछले वर्ष के आंकड़े	301	88	(3)	307	100	30	(3)	130	429	88
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पिछले वर्ष			
[illegible]					975		1,825			
[illegible]					45,093		34,907			
[illegible]					6,906	52,974	6,700	43,532		
वर्ष के दौरान 1000.00 रुपए से अधिक तथा 5000.00 रुपए से कम की अचल परिसंपत्तियां [illegible]					18		23			

19.1 [illegible] ₹70.18 लाख [illegible] 114.218 एकड़ [illegible] (पूर्ववर्ती वर्ष 114.218 एकड़, जो ₹70.18 लाख [illegible]) [illegible]

19.2 [illegible]

टिप्पणी : 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए				
		01 अप्रैल, 2011 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2012 के अनुसार
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		3,532	2,757	(1,951)	(258)	4,080
सड़क, पुल तथा पुलिया		3,894	2,615	(4,225)	(12)	2,272
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		80	47	4	-	131
उत्पादन संयंत्र एंव मशीनरी		32,870	9,026	(3,486)	(38,347)	63
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जलमार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		35,967	21,139	109	(15,677)	41,538
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8	-	-	-	8
विद्युत संस्थापना तथा उपकेंद्र उपकरण		279	281	(545)	-	15
परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं		-	-	-	-	-
अन्य		271	61	(12)	(6)	314
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनरी		511	387	(681)	-	217
निरीक्षणाधीन उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		-	-	-	-	-
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण एवं विकास खर्च		4,533	1,096	(31)	(63)	5,535
विनिमय परिवर्तन		-	-	-	-	-
आबंटन होने तक ब्याज		-	19,307	(19,307)	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	546	613		-	1,159
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत एवं किराए के संबंध में निवल वसूलियां)		980	774	(5)	-	1,749
उप-जोड़		**83,471**	**58,103**	**(30,130)**	**(54,363)**	**57,081**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**2,05,336**	**87,036**	**(17,666)**	**(1,91,235)**	**83,471**

टिप्पणी : 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु	
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		9,347		12,780	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		1,169		2,074	
उपदान		905		444	
कल्याण		182	11,603	178	15,069
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		90		152	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		426	516	379	531
दर एवं कर			21		18
विद्युत एवं ईंधन			371		519
बीमा			14		11
संचार			135		151
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2		11	
भवन		229		301	
अन्य		392	623	1,682	1,994
यात्रा एवं वाहन			403		518
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			341		584
सुरक्षा			341		427
प्रचार तथा जनसंपर्क			107		130
अन्य सामान्य व्यय			848		1,078
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			1		4
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			33		94
अनुसंधान एवं विकास व्यय			51		0
बट्टे खाते में डाले गए आकस्मिक राजस्व व्यय			1		2
मूल्यह्रास	10		970		1,228
कुल व्यय (क)			16,388		23,318
प्राप्तियां					
अन्य आय	21				
ब्याज					
बैंक में जमाराशियों से		17		26	
कर्मचारियों से		104		104	
अन्यों से		1	122	1	131
वसूल किराया प्रभार			18		66
निविदा प्राप्तियां			78		56
फुटकर प्राप्तियां			65		39
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			428		8
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			20		12
कुल प्राप्तियां (ख)			734		313
पूर्वावधि समायोजन	26		19		8
निर्माण में शुद्ध व्यय			15,671		23,012
प्रावधान	27				
संपत्ति कर		14	14	20	20
वर्तमान अवधि निवल व्यय			15,685		23,032
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			546		177
कुल ईडीसी			16,231		23,209
घटाएं :-					
सीडब्ल्यूआईपी को आवंटित ईडीसी/परिसंपत्ति		14,476		22,240	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है		596	15,072	423	22,663
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			1,159		546

टिप्पणी : 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		29,104	26,129	22,580	19,605
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
जोड़			**19,816**		**13,292**

टिप्पणी : 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

रुपये, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के प्रति		4,249		1,033	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएजएसी)		13,659		1,588	
iii) अन्य		20,807		18,038	
iv) अग्रिमों पर उपचित ब्याज		6,647	45,462	4,579 2	26,498
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			0		0
उप-योग : पूंजीगत अग्रिम			45,463		26,498
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,534		2,282	
अप्रतिभूत		235	3,069	103	2,385
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित ब्याज					
प्रतिभूत		1,599		1,496	
अप्रतिभूत		12	1,611	23	1,519
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		1	
अप्रतिभूत		0	0	0	1
निदेशकों के ऋणों पर उपचित ब्याज					
प्रतिभूत		4		4	
अप्रतिभूत		0	4	0	4
अन्य					
अप्रतिभूत, सही समझा गया		9	9	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तुओं के रूप में वसूली योग्य अग्रिम अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		83		21	
निदेशकों के लिए		0		0	
सप्लायर्स के लिए		1		1	
अन्यों के लिए		8,740	8,824	8,612	8,634
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		257		204	
सरकार/न्यायालय में जमा		267		233	
अन्य जमा		1	525	1	438
उप-योग			12,022		10,561
घटाएं : संदेहास्पद एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			9		9
उप-योग - अग्रिम			12,013		10,552
कुल ऋण और अग्रिम			57,476		37,050
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			0		1
ब्याज			4		4
योग			4		5
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		2
ब्याज			7		5
कुल			8		7

टिप्पणी : 14

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
निर्माण भंडार					
(भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी कम हो)					
सीमेंट		0		0	
अन्य सिविल एवं भवन साग्रमी		29		30	
अन्य		438		297	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	467	1	328
उप-जोड़			**467**		**328**
पूर्वप्रदत्त व्यय		48		41	
उपगत ब्याज परंतु देय नहीं		0	48	0	41
उप-जोड़			**48**		**41**
जोड़			**515**		**369**

टिप्पणी : 15

वस्तु सूचियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
वस्तु सूचियां					
(भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन सामग्री		173		295	
अन्य		1,802		1,938	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		9	1,984	0	2,233
घटाएं : अन्य भंडारों हेतु प्रावधान			324		465
जोड़			**1,660**		**1,768**

टिप्पणी : 16

ट्रेड प्राप्य

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
छह महीने से अधिक बकाया ऋण					
अप्रतिभूत अच्छा समझा गया		1,00,958		66,119	
संदिग्ध समझा गया		10	1,00,968	21	66,140
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10		21
अन्य ऋण					
अप्रतिभूति, अच्छा समझा गया		89,939		45,376	
संदिग्ध समझा गया		0	89,939	0	45,376
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
जोड़			**1,90,897**		**1,11,495**

टिप्पणी : 17

नगदी एवं नगदी सदृश राशियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
बैंकों में शेष (बैंकों में आवंटित फ्लेक्सी जमा सहित)			13,553		5,103
हस्तगत नकदी			2		4
अन्य (आरबीआई के ... बैंक में शेष जो कंपनी के प्रयोग हेतु उपलब्ध नहीं है)			232		137
योग			13,787		5,244

टिप्पणी : 18

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		305		227	
अप्रतिभूत		24	329	3	230
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित ब्याज					
प्रतिभूत		337		229	
अप्रतिभूत		3	340	88	317
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
प्रतिभूत, सही समझा गया					
अप्रतिभूत, सही समझा गया		0	0	24	24
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी कम हो)					
कर्मचारियों के लिए		234		253	
निदेशकों के लिए		0		1	
ठेकेदारों के लिए		521		303	
अन्यों के लिए		1,460	2,215	385	942
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		1		19	
दर जमा		128		361	
सीमाशुल्क विभाग में जमा		0		0	
सरकार/न्यायालय में जमा		250		270	
अन्य जमा		0	379	4	654
उप-योग			3,264		2,168
घटाएं : संदिग्ध एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
कुल अग्रिम			3,264		2,168
कुल ऋण एवं अग्रिम			3,264		2,168
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			0		0
कुल			1		1
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			0		0
कुल			1		1

टिप्पणी : 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			469		111
उद्भूत ब्याज			26		2
कुल			495		113

टिप्पणी : 20

प्रचालनों से राजस्व

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
ऊर्जा बिक्री			2,02,238		1,65,509
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			433		145
यू आई/संकुलन प्रभार			1,660		1,350
परामर्शी आय			227		1,306
कुल			2,04,558		1,68,310

20.1 (i) माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च, 2004 में विनियमनों को अधिसूचित किया था, जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2004 कहा गया। ये विनियमन 01.04.2004 से लागू हुए; और 5 वर्ष तक लागू रहे। कंपनी ने माननीय सीईआरसी द्वारा विनियमन, 2004 में व्यक्त नियमों का पालन करते हुए अस्थायी टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी के पास याचिका दायर की।

माननीय सीईआरसी ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 को अस्थायी टैरिफ आदेश यह कहते हुए जारी किया था कि अनुमोदित टैरिफ अनंतिम उपाय है, और याचिका में दावाकृत वार्षिक निर्धारित प्रभारों के अल्पीकरण में है तथा तदनुसार, 31.03.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। प्रतिवादित आदेश से खिन्न होकर, कंपनी ने विद्युत संबंधी माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की, जिसने दिनांक 02.07.2007 के अपने आदेश में बताया कि आयोग अंतिम दर का निर्धारण करते समय अंतर्ग्रस्त पक्षों के सभी संगत दावों पर विचार करेगा।

भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11.11.2010 के पत्र संख्या 11/6/2010-11-I के तहत 8392.45 करोड़ रुपए के लिए टिहरी एचपीपी (चरण-I) की संशोधित लागत अनुमान की मंजूरी प्रदान की थी और टीएचडीसीआईएल ने तदनुसार माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ अवधि 2006-2009 के लिए याचिका दायर की थी। अवधि 2006-09 के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा शीघ्र अनुमोदित किए जाने की आशा है।

इसी समय, अवधि 2009-14 के लिए टैरिफ याचिका भी 4 नवम्बर, 2011 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 में व्यक्त नियमों का पालन करते हुए लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित एएफसी तैयार किया गया था और वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लेखों में विचार किया गया है।

तदनुसार, कंपनी ने रुपए 161938.33 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 165508.86 लाख रु.) की बिल युक्त बिक्रियां की हैं। वर्ष 2011-2012 के लिए राजस्व को माननीय सीईआरसी द्वारा टैरिफ का निर्धारण करने तक अस्थायी रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। देनदारों ने माननीय सीईआरसी के विनियमनों के आधार पर और टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने तक माननीय सीईआरसी द्वारा अनुमत अस्थायी टैरिफ के आधार पर परिकलित एएफसी के अनुसार बिक्रियों के बीच विभेदी बिलिंग के संबंध में 99601.23 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 92457.69 लाख रु.) को शामिल किया।

(ii) सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 के अनुसार, कंपनी ने अवधि 2011-14 के लिए कोटेश्वर परियोजना के लिए 31.03.2012 तक परियोजना पर और तब परियोजना के चार यूनिटों के प्रत्याशित सीओडीज पर उपगत होने वाले प्रत्याशित व्यय पर विचार करते हुए वार्षिक निर्धारित लागत (एएफसी) तैयार किया था। तदनुसार, 28 फरवरी, 2011 और 1 मार्च, 2011 को आयोजित 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में निर्णय लिया गया था कि टीएचडीसीआईएल द्वारा यथा प्रस्तावित 80% वार्षिक निश्चित लागतों को माननीय सीईआरसी द्वारा टैरिफ का निर्धारण होने तक लाभार्थियों द्वारा अदा किया जाएगा।

बाद में, कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका को अवधि 2011-14 के लिए 01.04.2011 और 26.10.2011 के रूप में यूनिट-1 और यूनिट-2 के वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीखों पर विचार करते हुए और क्रमशः 01.03.2012 और 01.05.2012 के रूप में यूनिट-3 और यूनिट-4 के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीखों पर विचार करते हुए तैयार किया गया था। विधिवत रूप से लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित टैरिफ फाइलिंग फार्मों में टैरिफ याचिका को सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 में निरूपित नियमों का पालन करते हुए माननीय सीईआरसी को प्रस्तुत किया गया है। राजस्व को टैरिफ का निर्धारण होने तक माननीय सीईआरसी को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित एएफसी के आधार पर वित्त वर्ष 2011-12 के लिए लेखा में अस्थायी रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। तदनुसार, कंपनी की रुपए 40299.80 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के लिए बिल युक्त बिक्रिया की हैं। देनदारों ने सीईआरसी विनियमनों और अनंतिम टैरिफ जैसा कि 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में निर्णय लिया गया है, के आधार पर परिकलित एएफसी के अनुसार बिक्रियों के बीच विभेदी बिलिंग के संबंध में रुपए 16067.67 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) शामिल किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, कोटेश्वर एचईपी ने यूआई प्रभार रुपए 34.68 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 12.10 लाख एवं ब्याज शून्य) की विलंबित प्राप्ति पर यूआई प्रभारों एवं ब्याज के रूप में उत्पादित अस्थिर ऊर्जा के प्रति रुपए 1615.48 लाख भी अर्जित किया है। इस राशि को स्वीकार किया गया है और इसे परियोजना के पूंजीगत लागत में समायोजित किया गया है।

टिप्पणी : 21

अन्य आय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
ब्याज					
बैंक में जमा राशियों पर (पिछले टीडीएस रुपए 27'381.00 पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 48820.00 शामिल है)		67		57	
कर्मचारियों से		232		224	
अन्य		9	308	9	290
मशीन किराया प्रभार			19		38
किराया प्राप्तियां			156		65
विविध प्राप्तियां			210		211
प्रावधान की गई अधिक राशियों को हटाना			479		10
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			58		235
विलंबित भुगतान अधिभार			473		28
कुल			1,601		830
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		791		313
कुल			960		517

टिप्पणी : 22

कर्मचारी लाभ व्यय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			21,798		25,237
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान			2,654		5,199
उपदान			1,709		779
कल्याण खर्च			379		368
कुल			26,488		31,577
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		11,503		16,053
कुल			14,985		15,524

टिप्पणी : 23

वित्त लागत

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			61,771		53,255
कुल			61,771		53,255
घटाएं :					
ईडीसी एवं सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत	11.1		6,598		15,488
कुल			55,173		37,767

टिप्पणी : 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
किराया					
कार्यालय किराया		129		187	
कर्मचारी आवास किराया		648	777	598	785
दर एवं कर			390		369
विद्युत एवं ईंधन			1,338		1,303
बीमा			648		376
संचार			278		239
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,270		2,081	
भवन		845		843	
अन्य		1,143	3,258	3,309	6,233
यात्रा एवं वाहन			802		888
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			927		1,042
सुरक्षा			1,587		1,375
प्रचार तथा जनसंपर्क			180		305
अन्य सामान्य व्यय			1,972		2,220
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			12		27
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			680		596
अनुसंधान एवं विकास व्यय			61		0
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			692		802
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			12		12
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय			1,358		981
ग्राहकों को छूट			721		1,336
कुल			**15,693**		**18,889**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,919		6,043
कुल			**11,774**		**12,846**

टिप्पणी : 25

प्रावधान

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
संदिग्ध ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		21
भंडारों तथा कुल-पुर्जों के लिए प्रावधान			156		58
कुल			**156**		**79**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			**156**		**79**

टिप्पणी : 26

पूर्वावधि आय/व्यय (शुद्ध)

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आय					
विविध प्राप्ति		0	0	1,153	1,153
व्यय					
कार्मिक व्यय		0		(64)	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		0		86	
अन्य सामान्य व्यय		30		702	
मूल्यह्रास		76		(25)	
पूंजी		1		0	
किराया दर और कर		0		250	
विविध – अन्य		0	106	0	958
उप-जोड़			106		(189)
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		10		8
कुल			96		(201)

टिप्पणी : 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आयकर					
चालू वर्ष			18,290		13,831
उप-जोड़			18,290		13,831
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			18,290		13,831
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			69		51
उप-जोड़			69		51
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		14		20
कुल			55		31

28. 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की तात्कालिक अनुप्रयोज्य अनुसूची-VI के अनुसार तैयार किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत संशोधित अनुसूची-VI की अधिसूचना परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को संशोधित अनुसूची-VI के अनुसार तैयार किया गया है। तदनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को भी, जहां कहीं भी आवश्यक हो, इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/ पुनःसमूहित/ पुनःव्यस्थित किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों के लिए संशोधित अनुसूची-VI का अंगीकरण वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई अभिस्वीकरण एवं माप सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता।

29. पूंजीगत खातों में निष्पादन किए जाने हेतु शेष संविदाओं के अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, (निवल लाभ) 189581.57 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष) 15854.17 लाख रुपए है।

30. **आकस्मिक देयताएं**

(लाख रुपए में)

		2011-12	2010-11
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में अभिज्ञात न हों : माध्यस्थम/न्यायालय संबंधी मामले [जिसमें 238.62 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 233.04 लाख रुपए) शामिल है], विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय मामलों में कंपनी के प्रति डिक्रीड और कंपनी द्वारा जमा किया गया परंतु अपीलों में विवादित]	131696.37	144477.19
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्यिक कर, प्रविष्टि कर, जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 6.78 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष के 250.42 लाख रुपए) शामिल है, परंतु अपील में विवादित है।	566.45	777.36
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	5923.86	6603.78

(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों एवं अन्यों द्वारा दायर किए गए दावों/न्यायालय मामलों में देयताएं, यदि कोई हों, की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

31. कंपनी ने 2498.15 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2664.64 लाख रुपए) की राशि, जैसाकि कि टिप्पणी 4 और टिप्पणी 8 में प्रकट किया गया है, के "जमाओं, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि" के अलावा, 914.00 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 899.17 लाख रुपए) के एफडीआर/सीडीआर राशि के रूप में जमा ईएमडी/प्रतिभूति को भी स्वीकार किया है।

32. कंपनी पावर के विभिन्न लाभार्थियों से 4631.41 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2069.50 लाख रुपए) की राशि भुगतान हेतु प्रतिकर प्रतिभूति के रूप में पुष्टिकृत साख पत्र (एलसी) धारण करती है।

33. 7800.00 लाख रुपए की राशि को नये टिहरी शहर में सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया गया था और यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूलनीय थी। भारत सरकार (जीओआई) की मंजूरी के अनुसार 7800.00 लाख रुपए की मियादी ऋण को वर्ष 2005-06 में उत्तराखंड सरकार की ओर से पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया था। राशि को ब्याज के साथ उत्तराखंड सरकार से टिहरी एचईपी चरण-I से 12% निःशुल्क पावर के उनके शेयर से वसूल की जानी है।

सचिव (पावर), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2009 को आयोजित बैठक में पारस्परिक रूप से यह तय किया गया था कि उत्तराखंड सरकार, टीएचडीसी द्वारा बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर रॉयल्टी के संबंध में टीएचडीसी से देय राशि को समायोजित करने के बाद आवासीय/गैर आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान के संबंध में देय 7800.00 लाख रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा, यह सहमति हुई थी कि आपसी समझौता होने से न तो उत्तराखंड सरकार, न ही टीएचडीसीआईएल एक-दूसरे को देय राशियों पर ब्याज लगाएगी। तदनुसार, उत्तराखंड सरकार से वसूलीय 1857.42 लाख रुपए के ब्याज को समायोजित किया गया है। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि रायल्टी प्रभारों की राशि को टीएचडीसीआईएल द्वारा यथा उपलब्ध वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाला जाएगा। रायल्टी को परिकलित किया गया है, जो 3820.00 लाख रुपए बैठती है। 1920.00 लाख रुपए की शेष राशि को डी.एम. के पास 1900.00 लाख रुपए की जमा की गई राशि को कम करने के बाद 7800.00 लाख रुपए के प्रति समायोजित किया गया है और 5880.00 लाख रुपए की शेष राशि को टिप्पणी-13 में उत्तराखंड सरकार से वसूलनीय रूप में दर्शाया गया है। मामले पर जे एस (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में आगे चर्चा की गई थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया

कि राशि को शीघ्र जारी करने के लिए मामले को राज्य वित्त विभाग के साथ उठाया जाएगा।

कंपनी ने 8448.58 लाख रुपए की सब्सिडी एवं ब्याज राशि की वसूली के स्थगन हेतु एक रिट याचिका, उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की थी। तथापि, 27.03.2009 को आयोजित संयुक्त बैठक के परिणामस्वरूप, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, नैनीताल उच्च न्यायालय में रिट याचिका को वापस लेने के लिए मामले को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) टिहरी के पास उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने दिनांक 25.05.2009, 21.07.2009 और 04.03.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव से 27.03.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्तों के अनुसार कंपनी द्वारा दायर की गई हलफनामा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। हालांकि, लेखाबहियों में आवश्यक समायोजनों, जैसा ऊपर बताया गया है, को शामिल किया जाता है।

34. (i) वर्ष हेतु उधार लिए गए निधियों पर उपगत कुल ब्याज एवं अन्य लागत 58072.00 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 51675.35 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधारी लागत की राशि वर्ष के दौरान उधार ली गई अतिरिक्त निधियों की अल्प अवधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में 17.07 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 25.01 लाख रुपए) की राशि के समायोजन के बाद 5898.32 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 15489.18 लाख रुपए) है।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा घट-बढ़ राशि, जो 487.14 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 213.38 लाख रुपए) है, को पूंजीगत कार्य प्रगति में/परिसंपत्तियों हेतु समायोजित किया गया है।

35. कोटेश्वर एचईपी के यूनिट-III एवं यूनिट- IV का समक्रमण (सिंक्रोनाइजेशन) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और कोटेश्वर एचईपी के यूनिट- II, III और IV के समक्रमण (सिंक्रोनाइजेशन) को क्रमशः 25.10.2011, 12.02.2012 और 31.03.2012 को 24:00 बजे से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया गया है। इसलिए कोटेश्वर एचईपी के यूनिट- II, III और IV को वर्ष 2011-12 के दौरान अनिश्चित ऊर्जा समायोजन के बाद पूंजीकृत किया गया है।

36. दिनांक 06.04.2011 के कारपोरेट कार्मिक परिपत्र संख्या 06/2011 के अनुसार अधिवर्षिता लाभ के संबंध में नियोक्ता का अंशदान 01.01.2007 से कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 30% होगा। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधाओं की अंशदायी योजना शामिल होगी। पेंशन योजना के अंतिम रूप दिए जाने तक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के लगभग 10% का पेंशन निधि का प्रावधान लेखों में किया गया है।

37. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्यों के निष्पादन/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गई 809.04 एकड़ (पिछले वर्ष 809.04 एकड़) जमीन की लागत के लिए 843.13 लाख रुपए(गत वर्ष 838.18 लाख रुपए) राशि शामिल है।

इसके अलावा, टिहरी एचपीपी चरण-I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए 6976.96 लाख रुपए (गत वर्ष 7277.48 लाख रुपए वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीकृत किए गए, जिसमें 600.09 एकड़ (गत वर्ष 754.245 एकड़) पुनर्वास हेतु जमीन के अधिग्रहण के लिए 766.12 लाख रुपए (गत वर्ष 1237.33 लाख रुपए) शामिल है।

(ii) पुनःस्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आवंटित संपत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख-रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ.सं. 8-3/89 एफसी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीओआई 166/7-1-2002-300 (458)/88 के अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के डायवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किए जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखाई गई है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में 67.84 लाख रुपए की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क दी गई 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब 1/- रुपए की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 29.04.08 के आदेश संख्या 08बी/ यूसीपी/06/ 312/2006/एफसी/144 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 5.75 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

38. (i) अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान वास्तविक सत्यापक द्वारा जो छोटी-मोटी कमियां पाई गई हैं, जो स्वरूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। अंतिम समाधान के समय आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, को कर दिया जाएगा।

(ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पाई कुछ परिसंपत्तियों को 1/- रुपए प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

39. अग्रिमों, देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन/ठेकेदार के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाए गए शेष पुष्टि/मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन हैं।

40. पंजाब नेशनल बैंक ने दिसम्बर, 2011 में और जनवरी, 2012 में 9.27 करोड़ रुपए कारपोरेशन के चालू खाते में गलत नामे डाले थे। मामले को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की जानकारी में लाया गया था और बाद में यह सूचित किया गया था कि यह जाली चेकों के कारण हुआ। तथापि, बैंक ने बाद में हमारे चालू खाते में 3314641.00 रुपए की ब्याज राशि के साथ 1 मई, 2012 को 9.27 करोड़ रुपए की कुल राशि जमा की है। बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और मामले की सीबीआई द्वारा बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच की जा रही है।

41. चल रही छानबीन के दौरान 0.71 लाख रुपए की क्षतियां/कमियां (गत वर्ष 0.89 लाख रुपए) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लंबित होने के कारण दावों का समायोजन करना अभी बाकी है।

42. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 45 फ्लैट (गत वर्ष 90 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है। भारत सरकार ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एवं बेदखली के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त किए हैं। कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26. ईसी रोड, देहरादून में 20.10 लाख रुपए कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना/ केएचईपी के पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्री होल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

(iv) टीएचडीसी कार्यालय परिसर, बाई पास रोड, ऋषिकेश में बने लगभग 380 वर्गमीटर का कार्यालय भवन क्षेत्र, जिसकी कीमत का अभी पता लगाया जाना है, को टीएचडीसी उत्तराखंड सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टिहरी बांध परियोजना/ केएचईपी के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ऐसी परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

43. संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक की लागत, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जानी है। 31.03.2012 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत 839245.05 लाख रुपए (गत वर्ष 839245.05 लाख रुपए) परिकलित की गई थी, जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत 144133.80 लाख रुपए (गत वर्ष 144133.80 लाख रुपए) बनती है। 31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 144118.38 लाख रुपए (गत वर्ष 144118.38 लाख रुपए) दे दिए हैं।

44. संस्था के अंतर्नियमों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जाने हैं। लिखित सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय रुप में नहीं दर्शाया गया है।

45. वर्ष 2007-08 और 2011-12 के दौरान क्रमशः टिहरी एचपीपी-I और केएचईपी के उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक

प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी-I और केएचईपी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 "परिसंपत्तियों में कमी" की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

46. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की मूल व्यावसायिक गतिविधि है। इसीलिए अन्य प्रचालन, अर्थात एकमुश्त कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक-17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत गृह (पावर स्टेशन) देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

47. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :

लेखाकरण मानक-18 से "संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का ब्यौरा इस प्रकार है :

क) संबद्ध पक्षकार - प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक :

1.	श्री आर एस. टी. आई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री ए. एस. बिष्ट	निदेशक (कार्मिक)
3.	श्री सी. पी. सिंह	निदेशक (वित्त)
5.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़कर) - शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक एवं भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान, अन्य लाभ एवं व्यय निम्नवत हैं।

(लाख रुपए में)

	2011-12	2010-11
(i) वेतन एवं भत्ते	137.08	141.69
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	9.72	6.87
(iii) अन्य लाभ	74.53	72.45
(iv) स्वतंत्र निदेशक शुल्क एवं खर्चे	12.67	14.94
(v) निदेशक यात्रा व्यय	21.81	16.09
(vi) पेंशन निधि	2.30	19.44

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 760/-रुपए प्रति माह के भुगतान पर निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के इस्तेमाल की अनुमति है (जैसा कि उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के परिपत्र संख्या 2(53)/90-डीपीई (कम्प्यूसी)- जीआईवी, दिनांक 26 मार्च, 1999 के अनुसार अनुप्रयोज्य है)।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीटीआईएल, संयुक्त उद्यम गठित किया जाएगा, जैसा कि टिप्पणी संख्या 53(i) में प्रकट किया गया है।

48. प्रति शेयर आय (ईपीएस) - मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार हैं :

	2011-12	2010-11
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपए)	70352.45	60047.87
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिसका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल 32975617 परिवर्तित 32976276	मूल 32975617 परिवर्तित 32975617
प्रति शेयर आय रुपए मूल	213.44	182.10
परिवर्तित	213.42	182.10
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

49. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में, 6523.58 लाख रुपए (गत वर्ष 5789.83 लाख रुपए आस्थगित कर देयता में वृद्धि) जो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009-2014 के अनुसार चालू कर का भाग है और वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है :

लाख रुपए में

क्र.सं.		31.03.2012	31.03.2011
	आस्थगित कर देयता (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	13116.56	6867.55
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	9625.04
(iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	157.83	107.39
(v)	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	3229.61	3005.48
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसंपत्तियां) (क-ख)	**(26129.04)**	**(19605.46)**

50. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2011-12 के दौरान 2010-11 के कर पूर्व लाभ 2% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए व्यय कर ले। खर्च न हुई राशि के लिए अव्यपगत सीएसआर निधि के रूप में प्रावधान किया गया है।

51. प्रबंधन की राय में अचल परिसंपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गए ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन-पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होंगे।

52. क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें "सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत 31 मार्च, 2012 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2012 को लघु/अनुषंगी उद्योगों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

53. (i) महाराट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र संख्या एमआईएस-1207/(126/2007)/एचपी के जरिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं (पुणे जिले में) कालू नदी पर मलशेज घाट (600 मेगावाट) और (सतारा जिले में) कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनाई जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2012 तक टीएचडीसी ने इस पर 856.18 लाख रु. (गत वर्ष 623.21 लाख रुपए) खर्च किए हैं जिसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य रूप में दर्शाया गया है जिसे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार अभी निगमित किया जाना है।

(ii) भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने अ.शा. सं. 11/01/2008-बीबीएमबी के जरिए भूटान की संकोश परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर को अद्यतन करने का काम परामर्शी आधार पर टीएचडीसी को सौंपा है। इसके लिए 23.03.2010 को क्रमशः 1682.075 लाख रुपए तथा 24.06.2010 को 1378.75 लाख रुपए के लिए करार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच किए गए। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(iii) टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीपीसीएल के बीच खुर्जा, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना, ईंधन के लिए टाल-मेल, निधियन, विद्युत लेने के लिए वचनबद्धता, पीपीए पर हस्ताक्षर तथा उचित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन होगा। तदनुसार प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के लिए आरंभिक कार्य टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

54. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी वरुणावत पर्वत के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रही है। व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में 878.81 लाख रुपए (गत वर्ष 767.17 लाख रुपए) व्यय के स्थान पर 566.36 लाख रुपए अब तक (गत वर्ष 566.36 लाख रुपए) कंपनी को पहले ही प्रतिपूर्ति किए जा चुके हैं।

55. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड (जीओयूपी/जीओयू के) सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित व्यय विवरण के अनुसार व्यय किया गया खर्च कंपनी के लेखाबहियों में दर्ज किया गया है जिसे उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिए गए मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शाई गई सीमा तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब-किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जाएगा।

56. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए देहरादून में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरे को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

57. (i) पावर हाउस के संविदा प्रावधान के अनुसार मात्रा परिवर्तन के प्रति कटौती के संबंध में केसीटी से वसूलियों संबंधी मामले को न्यायालय आदेश के अनुसार विवाचन हेतु भेजा गया था और तदनुसार, विवाचन कार्यवाहियां शुरू की गई थीं। इसी समय, केसीटी ने पीठासीन विवाचक की नियुक्ति को चुनौती दी। इसके बाद, अधिकरण ने आदेश दिया कि पीठासीन माध्यस्थम की नियुक्ति उचित है, जिसे जिला न्यायालय टिहरी में केसीटी द्वारा चुनौती दी गई थी। जिला न्यायालय, टिहरी के आदेश को केसीटी के पक्ष को बनाए रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आस्थगन किया गया है और मामला अभी भी नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित है, परिणामतः विवाचन संबंधी कार्यवाहियां अभी भी लंबित हैं, जब तक कि नैनीताल उच्च न्यायालय में मामले का निपटान नहीं हो जाता है। इन संविदाओं के उक्त सूचित परिसंपत्तियों का मूल्य मामले को अंतिम रूप देने पर निर्भर रहते हुए परिवर्तित होगा।

(ii) ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम में 19051.74 लाख रुपए (मूलधन 12505.16 लाख रुपए और 18% की दर से ब्याज 6546.58 लाख रुपए) [गत वर्ष 20478.75 लाख रुपए (मूलधन 15899.99 लाख रुपए और 18% की दर से ब्याज 4578.76 लाख रुपए)] शामिल हैं, जो जोखिम और लागत खंड, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उपस्कर अग्रिम के लिए केएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से वसूला जाना है। 31 मार्च, 2012 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नकद) के रूप में केवल 5828.71 लाख रुपए (गत वर्ष 5828.71 लाख रुपए) उपलब्ध है। पीसीएल के संबंध में माध्यस्थम के मामले में टीएचडीसीआईएल ने इस मामले में अधिकरण के समक्ष प्रति दावा पेश किया है। माध्यस्थम निर्णय देते समय जोखिम एवं लागत अग्रिम पर ब्याज अधिकरण द्वारा मना कर दिया गया है। टीएचडीसीआईएल ने माध्यस्थम के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय से फैसला न होने के कारण बहियों में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

58. वर्ष 2010-11 के दौरान भारी वर्षा के कारण केएचईपी परियोजना में बाढ़ आई, जिससे निर्माणाधीन कोटेश्वर परियोजना जो निर्माण अवस्था में थी, के कुछ उपस्करों को नुकसान हुआ और लगभग 3573.71 लाख रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया। इस नुकसान के लिए ठेकेदार अर्थात मैसर्स बीएचईएल द्वारा बीमा दावा कर दिया गया है। निर्माण कार्य की बहाली/दोबारा शुरू करने पर हुए खर्च को सीडब्ल्यूआईपी के तहत दर्शाया गया है। बीमा दावा की राशि प्राप्त हो जाने पर इसे सीडब्ल्यूआईपी में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा मैसर्स बीएचईएल द्वारा दर्ज कुल दावों में से 939.80 लाख रुपए के दावे को बीमा कंपनी से प्राप्त किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2011-12 के हिसाब में लिया गया है।

59. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (विद्यमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय - भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ-साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदंडों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति 2009-2014 मानदंडों के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

60. (i) कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/मार्गस्थ कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जाती हैं, लेकिन इन्हें सामान्य तौर पर निरस्त नहीं किया जाता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए 697.72 लाख रुपए (गत वर्ष 774.77 लाख रुपए) शामिल है। (निवल वसूली)।

(ii) टीएचडीसीआईएल ने दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड से एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में 01 जुलाई, 2010 से 6 वर्षों के लिए 212 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से 2270 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला कार्यालय पट्टे पर लिया है जिसकी कुल कीमत 481240.00 रुपए जमा सेवा कर होगी। पट्टे पर लिए गए कार्यालय का कुछ भाग, जो 1870 वर्ग फीट है, 212 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से 8 नवम्बर, 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कुल 396440.00 रुपए में उप-पट्टे पर दिया गया है।

61. (i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2012 को एएस-15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी 589.77 लाख रुपए (गत वर्ष 323.03 लाख रुपए) होती है जबकि तुलन-पत्र के तारीख को ट्रस्ट में अधिशेष 43.38 लाख) (गत वर्ष में 20.35 लाख रुपए) उपलब्ध थी। इसीलिए 546.39 लाख रुपए (गत वर्ष 302.68 लाख रुपए) की राशि को देयता के रूप में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान खातों में 243.71 लाख रुपए (गत वर्ष 202.65 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया है।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस-15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण

31.03.2012 को किए गए बीमांकित मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारी लाभ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों का लाभ" के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.03.2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी 1 : निम्नलिखित पर बीमांकित (एक्चूरियल) मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित (एक्चूरियल) अनुमान

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8.5%	8%
भावी वेतन वृद्धि	6%	5.5%

सारणी-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	7024.96	3130.17	1565.42	3342.82	503.44
ब्याज लागत	597.12	266.06	133.06	284.14	42.78
गत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	447.54	239.05	62.70	218.06	32.11
भुगतान किया गया लाभ	(493.97)	(470.46)	(59.97)	(98.03)	(55.95)
बीमांकित (एक्चूरियल) (लाभ/हानि)	743.35	820.07	58.26	188.98	24.90
वर्ष के अंत में पीवीओ	8319.00	3984.89	1759.47	3935.97	497.50

सारणी-3 :
तुलन-पत्र में चिन्हित राशि

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एसबीएस
वर्ष के अंत में पीबीओ	8319.00	3984.89	1759.47	3835.97	497.50
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(8319.00)	(3984.89)	(1759.47)	(3935.97)	(497.50)
चिन्हित न हुए बीमांकित (एक्चुरियल) लाभ/हानि					
तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(8319.00)	(3984.89)	(1759.47)	(3935.97)	(497.50)

सारणी-4 लाभ एवं हानि खाते के विवरण/ईडीसी खाते में चिन्हित राशि

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एसबीएस
चालू सेवा लागत	447.54	239.06	62.70	218.06	32.11
ब्याज लागत	597.12	266.06	133.06	284.14	42.78
गत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल एक्चुरियल (लाभ)/हानि	743.35	820.07	58.26	188.95	(24.90)
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ ईडीसी में चिन्हित व्यय	1788.01	1325.18	254.02	691.15	50.00

62. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उप कर का प्रावधान नहीं किया है।

63. लेखांकन नीति में परिवर्तन :

क्रम सं.	नीति	प्रभाव
1	नीति संख्या 8(vii) -कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के सुरंग के विपथन के मामले में मूल्यह्रास को सीधी रेखा तरीके में सुरंग के प्रत्याशित उपयोगी जीवन को हटाने पर प्रभारित किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि पूर्ण मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया गया है और डब्ल्यूडीवी शून्य है।
2	लेखाकरण नीति संख्या 9(i) में आशोधन, जो स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे के मूल्यांकन को "निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो" के संबंध में जोड़ने से संबंधित है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि बेहतर स्पष्टता एवं एएस-2 की अनुरूपता में परिवर्तन किया गया है।
3	लेखाकरण नीति संख्या 10(iii) में आशोधन, जो शब्दों "ऊर्जा की बिक्री शब्द के बाद परिसमाप्त क्षति/वारंटी दावे" को शामिल करके विविध देनदारों से वसूलनीय अधिभार से संबंधित है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि लेखों के नोट में प्रकटित प्रथा को नीति में बदल दिया गया है।

64. लेखापरीक्षकों को भुगतान

(लाख रुपए में)

		2011-12	2010-11
क.	सांविधिक लेखापरीक्षक	4.13	4.13
ख.	कराधान मामले के लिए (कर लेखापरीक्षा)	2.11	2.07
ग.	कंपनी विधि मामले के लिए	-	-
घ.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
ङ	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	3.03	4.99
च.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3.72	2.62

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

65. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

	विवरण	2011-2012	2010-2011
क.	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	13.31	21.08
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	511.27	611.19
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	2414.17	2196.90
	माल का आयात	30.10	74.61
	अन्य (संचालन प्रभार)	0.00	3.40
	सम्मेलन हेतु नामांकन	7.00	0.00
	सॉफ्टवेयर की खरीद	0.47	0.00
	कुल	**2976.32**	**2907.18**

ख.	विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)	0.90	1951.65
ग.	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
i)	पूंजीगत माल	30.10	13.13
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	30.10	13.13
घ.	प्रयुक्त कच्चा, स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य		
i)	आयातित (रुपए में)	2.44	0.30
	(%)	3.87%	0.27%
ii)	देशी (रुपए में)	83.37	110.84
	(%)	96.13%	99.73%
ङ	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

66. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं ।

क्रम सं.	विवरण	2011-2012	2010-2011
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1400 मेगावाट	1200 मेगावाट
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट) - (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मेगावाट	2844 मेगावाट
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व-वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	45.1789 मि.यू.	0.4338 मि.यू.
	बिक्री	44.7251 मि.यू.	0.4296 मि.यू.
(ख)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	4546.0793 मि.यू.	3116.0253 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत व रूपांतरण हानियों के बाद निवल)	3988.8999 मि.यू.	2730.6833 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है तथा अनुरक्षित कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एवं भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि, लाख रुपए में
(ब्रैकेट में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर-पूर्व निवल लाभ और पूर्वावधि समायोजन		80,330		67,719
निम्न हेतु समायोजन :-				
मूल्यह्रास	45,143		34,933	
प्रावधान	156		79	
ऋणों पर ब्याज	53,173		37,787	
पूर्वावधि समायोजन	(99)	98,373	201	73,010
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ		1,78,703		1,40,729
निम्न हेतु समायोजन :				
वस्तु सूचियां	(48)		(88)	
ट्रेड प्राप्य	(79,402)		(35,729)	
अन्य परिसंपत्तियां	(389)		6	
ऋण एवं अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(2,257)		(40)	
ट्रेड देय और देयताएं	(18,537)		20,630	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	22,504	(78,129)	(1,641)	(16,638)
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		1,00,577		1,23,891
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(16,375)		(13,662)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		84,202		1,10,229
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्न में परिवर्तन :-				
स्थायी परिसंपत्तियां और सीडब्लूआईपी	(36,011)		(75,226)	
निर्माण स्टोर	(139)		(155)	
पूंजी अग्रिम	(18,984)		(1,349)	
विविध व्यय (समायोजित सीमा तक)	13		13	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		(55,101)		(76,717)

राशि, लाख रुपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ग. वित्त-पोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	4,500		-	
अन्य पूंजी प्रारक्षित	-		41	
ऋण	52,754		28,285	
ऋणों पर ब्याज	(53,173)		(37,797)	
लाभांश और लाभांश पर कर	(24,639)		(21,106)	
वित्त-पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(20,558)**		**(30,577)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**8,543**		**2,935**
ङ आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**5,244**		**2,309**
च. अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**13,787**		**5,244**

टिप्पणी :-

1. नकदी और नकदी समतुल्यों में रुपए 231.78 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 136.78 लाख) का बैंकों में शेष शामिल है; जो कारपोरेशन द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/पुनःदर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एवं भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के सभी सदस्य

1. हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरण, जिनमें 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक विवरण शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा की है। उक्त मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा-परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा-परीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकटनों तथा राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गई जांचों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. हमारी रिपोर्ट पर बिना आपत्ति के हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ आकर्षित कर रहे हैं :-

(क) टिप्पणी संख्या 20.1 (i तथा ii) सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का अंतिम निर्धारण लंबित रहते बिक्री का लेखाकरण अनंतिम आधार पर किया जा रहा है।

(ख) टिप्पणी संख्या 33 - उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त जगह के लिए 31 मार्च, 2012 को देय 6880.00 लाख रुपए की बाकी राशि रॉयल्टी के लिए देयताओं के समायोजन के बाद अभी भी वसूल करनी बाकी है।

(ग) टिप्पणी संख्या 37(i) शीर्ष "अवर्गीकृत भूमि" के तहत खातों में पूंजीकृत 6976.95 लाख रुपए के पुनर्वास व्यय को उत्तराखंड सरकार/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह सत्यापन के अध्यधीन नहीं है।

(घ) टिप्पणी संख्या 39 - फुटकर देनदार, फुटकर लेनदार, प्रतिभूति जमा/धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अग्रिम सभी पुष्टि एवं समाधान के अध्यधीन हैं।

(ङ) टिप्पणी संख्या 42(i)- यह कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर 46 फ्लैटों (गत वर्ष 90 फ्लैटों) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे से संबंधित है।

(च) टिप्पणी संख्या 57(ii)- कोएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) की 5528.71 लाख रुपए की प्रतिभूति के प्रति उसके जोखिम और लागत पर निष्पादित कार्य के लिए 19061.74 लाख रुपए ठेकेदार को

दिए गए अग्रिम में शामिल हैं।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे और के साथ पठित उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि :

(क) अपनी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाते बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (आई) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में तथा हमारी संपूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों, जो उसके साथ संलग्न हैं, के साथ पठित उक्त खाते कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं :

(क) तुलन-पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के विवरण के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की; तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नगदी प्रवाह की।

कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या-17572

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31 अगस्त, 2012

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. हमारी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है और सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में, कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारम्बारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. हमारी वस्तुसूचियों के संबंध में :

(क) ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़कर वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु सूची की वास्तविक जांच उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया-विधियां उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न तो कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण लिया है और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ-4 का खंड (iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला है और न ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि कंपनी अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारी संपूर्ण जानकारी और विश्वास तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थीं, जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान 5,00,000 रू. या उससे अधिक के लेन-देन की औचित्यता का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए, 58एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय-समय पर लेखा-परीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखा-परीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

8. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा - 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी अपेक्षित लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2011-12 के लिए लागत लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई है।

9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक देय राशियां उचित प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं तथा इनके संदेय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय राशि 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बकाया नहीं थी। जैसाकि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर/व्यापार कर/

प्रवेश कर देय जमा नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986-87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के लिए मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया था। टीएचडीसी ने ए. ओ. के आदेश के विरूद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपनी अपील दायर की है तथा जे.सी. (अपील) ने स्थगनादेश दे दिया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पहली अपील टीएचडीसी के पक्ष मे निर्णीत हुई और इस आदेश के विरूद्ध राज्य ने अपील संख्या 69-11 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की है।
1989-90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993-94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993-94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994-95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994-95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997-98	0.60	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000-01 137 महीनों के लिए ब्याज	136.35 373.60	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील), देहरादून के पास लंबित है।
2007-08	0.75	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने 28.02.2011 के मूल्यांकन आदेश में उठाई गई मांग के खिलाफ अपील दायर की है।

10. (क) कंपनी की वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नगद हानियां नहीं हुई थीं।

    (ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने, हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा-परीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल बेनीफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड-XIII कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य में निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया।

17. हमारी राय में तथा समग्र रूप से हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गई निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानतः आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धतियों के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें कंपनी पर या कंपनी द्वारा किए गए किसी जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह के मामले की कोई सूचना हमें दी गई।

कृते खटिवा एण्ड खटिवा
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर खटिवा)
भागीदार एफसीए
सदस्यता संख्या-17572

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31 अगस्त, 2012

गोपनीय

स./No RAP/THDC/A/cs/2011-12/2012-13/535
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक/Dated 11-09-2012

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टी एच डी सी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषय: 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये टी0 एच0 डी0 सी0 इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टी0 एच0 डी0 सी0 इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वर्ष 2011-12 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6th & 7th Floor Annexe Building, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Ph. : 2329227; Fax : 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 31 अगस्त, 2012 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अधीन 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत टिप्पणी करना या "सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुपूरक" अपेक्षित हो।

कृते व भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक की ओर से

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 सितम्बर, 2012

टिहरी झील का विहंगम दृश्य
A panoramic view of Tehri Lake

www.censet.in (M) 9810213218

टीएचडीसी इंडिया लि.
(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड़, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

THDC INDIA LIMITED
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437646 Fax : (0135) 2439442 & 2436761